Click to view previous circular no.5332 Dated 01-02-2014

पत्रांक ।।98/आयु0करउत्तरा0 /UDAAN-C/प0–196/2014–15

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
देहरादून : : दिनांकः18 जून, 2014

// परिपत्र //

(ऑनलाईन जनरेटेड फार्म–सी के सम्बन्ध में संशोधित परिपत्र)

आप सभी अवगत हैं कि विभाग द्वारा समस्त व्यापारियों को ऑनलाईन रूप से फार्म–सी जनरेट किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि एनेक्सजर–17 सी में त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित हो जाने के कारण कुछ व्यापारियों द्वारा जनरेट किये गये फार्म–सी में त्रुटियां रह गयी हैं, समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसे फार्म–सी में संशोधन किये जाने के संबध में एक यूटिलिटी उपलब्ध करायी गयी थी जिसके संबंध में परिपत्र सं0 5332 दिनांक 01 फरवरी, 2014 द्वारा मार्गदर्शन/निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु उक्त यूटिलिटी में विक्रेता व्यापारी के टिन, बिल मूल्य अथवा फार्म–सी की धनराशि में संशोधन किये जाने की सुविधा उपलब्ध नही करायी गयी थी जिसके संबध में पृथक से परिपत्र जारी करने का उल्लेख किया गया था। इसी क्रम में अब समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को त्रुटिपूर्ण फार्म–सी में **विक्रेता व्यापारी का टिन, बिल मूल्य अथवा फार्म–सी की धनराशि सहित अन्य समस्त आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु यूटिलिटी तैयार कर ली गयी है** जिसे CT Application के ऑफीसर अकाउण्ट में Statutory Form C के अन्तर्गत Form-C option के भीतर पहले से उपलब्ध Amendment in Form C लिंक पर update किया जा चुका है। फार्म–सी में संशोधन की प्रकिया पूर्व में जारी परिपत्र के अनुसार ही रहेगी। नयी यूटिलिटी के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

1. इसके अन्तर्गत जनरेटेड फार्म–सी के त्रैमास, विक्रेता व्यापारी के टिन, बिल मूल्य अथवा फार्म–'सी' की धनराशि में संशोधन किये जाने की सुविधा दी गयी है।
2. इसका उपयोग करके जनरेटेड फार्म–सी में अंकित सम्व्यवहारों में नया सम्व्यवहार जोड़ा अथवा कम (Add or Delete) किया जा सकता है। फार्म–सी की धनराशि तद्नुसार ही परिवर्तित हो जायेगी।
3. विक्रेता व्यापारी का टिन अंकित करने में हुई त्रुटि के कारण यदि किसी एक विक्रेता व्यापारी हेतु एक ही त्रैमास में एक से अधिक फार्म–सी जनरेट हो गये हों तो सभी फार्म–सी को इस यूटिलिटी द्वारा एक फार्म–सी में merge भी किया जा सकता है।
4. जनरेटेड फार्म–सी में कोई भी परिवर्तन/संशोधन करते ही इस सॉफटवेयर द्वारा व्यापारी का एनेक्सजर–17 सी व रिटर्न तद्नुसार automatically update कर दी जाती है।

–क्रमशः–2

उपरोक्त के क्रम में समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनाँक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
02. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
03. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
04. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
05. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
06. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web- information officer को विभागीय website पर update करने हेतु।
08. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
09. इन्स्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
10. नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
12. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002
13. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।
14. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहराद
15. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय, क्वालिटी हार्डवेयर, गॉधी रोड,देहरादून।
16. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, नागलिया आटोमो0 त्यागी, देहरादून।
17. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
18. दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14,आढ़त बाजार देहरादून।
19. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0, 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
20. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
21. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Back

पत्रांक 5332 /आयु0करउत्तरा0 /UDAAN-C/प0.–196/2013–14

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक:: ~~जनवरी,~~ 01/02/2014

// परिपत्र //

(ऑनलाईन जनरेटेड फार्म–सी में संशोधन करने संबंधी)

दिनांक 30.10.2013 से विभागीय वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन फार्म–'सी' जारी करने सम्बन्धी मॉड्यूल "UDAAN-C" लागू किया गया है। विभिन्न व्यापारियों, अधिवक्ताओं द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उनके द्वारा ऑनलाईन रूप से जनरेट किये गये द्वितीय त्रैमास से सम्बन्धित फार्म–सी के प्रिन्ट आउट में विक्रेता व्यापारी के टिन, नाम व पते, बिल संख्या, तिथि इत्यादि में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं। यह त्रुटियां एनेक्सजर–17 सी में त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित हो जाने के कारण हुई हैं। उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से किया जाना है जिसकी प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

1. कर निर्धारण अधिकारी, **विक्रेता व्यापारी के टिन, बिल मूल्य अथवा फार्म–सी की धनराशि को छोड़कर** अन्य सभी प्रकार की त्रुटियों यथा विक्रेता व्यापारी के नाम पते, बिल संख्या व तिथि, परचेज आर्डर संख्या व तिथि आदि में परिवर्तन कर सकेंगे।

4 **2. विक्रेता व्यापारी के टिन तथा फार्म–सी की धनराशि में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से परिपत्र जारी किया जायेगा।**

3. जिस व्यापारी को अपने त्रुटिपूर्ण फार्म–सी में संशोधन कराना है वह फार्म–सी की प्रति एवं फार्म में हुई त्रुटि व प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित कर निर्धारण कार्यालय में आवेदन करेगा।

4. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को यदि मूल प्रपत्रों (बिल/परचेज आर्डर इत्यादि) के परीक्षणोंपरान्त यह समाधान हो जाये कि फार्म में संशोधन किया जाना उचित होगा तो अधिकारी द्वारा "CT Application" (SWAN) पर जाकर ऑफीसर अकाउण्ट में लॉग–इन किया जायेगा।

5. लॉग–इन के पश्चात् "statutory form issuance module" के विकल्प का चयन किया जायेगा।

6. तत्पश्चात् खुलने वाली विन्डो के टॉप मेन्यू में बने ऑप्शन "Form C" पर क्लिक करते हुए "Amend Form C" के विकल्प पर क्लिक किया जायेगा।

7. उक्त विकल्प पर क्लिक करते ही फार्म–सी का नम्बर अंकित करने हेतु स्क्रीन पर एक बाक्स खुलेगा। जिसमें संशोधित किये जाने वाले फार्म–सी का नम्बर अंकित करने के पश्चात "submit" के बटन पर क्लिक किया जायेगा।

कमशः–2–

पृ0प0सं0 5332/01/02/14 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

02. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।

03. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।

04. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

05. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।

06. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

07. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को विभागीय website पर update करने हेतु।

08. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।

09. इन्स्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।

10. नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।

11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

12 स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002

13. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।

14. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

15. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय, क्वालिटी हार्डवेयर, गॉधी रोड,देहरादून।

16. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, नागलिया आटोमो0 त्यागी, देहरादून।

17. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।

18. दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14,आढ़त बाजार देहरादून।

19. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।

20. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

21. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।